

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़  
पीठासीन अधिकारी:- पंकज शर्मा, RAS

प्रकरण संख्या 14/2017 प्रार्थना पत्र

नारायण मीणा व अन्य

// बनाम //

राज0 सरकार व अन्य



प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा0का0अधि0

निर्णय

दिनांक 09.07.2019

पत्रावली पेश हुई । वकील उभयपक्ष उपस्थित । विपक्षी संख्या 1 की ओर से कोई जवाब पेश नहीं । विपक्षी संख्या 1 का जवाब बन्द किया जाता है । प्रकरण में बहस सुनी गई । बहस में पृकट तथ्यों एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर विपक्षीगणों को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि प्रकरण में विवादित भूमि मौजा फाचर अहीरान प0ह0 फाचर अहीरान की खाता संख्या 106 की आराजी नं0 509 रकबा 0.7100 हे0 भूमि की मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति विपक्षीगण मूलवाद के अन्तिम निस्तारण तक बनाये रखें । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।

(पंकज शर्मा)  
उपखण्ड अधिकारी,  
निम्बाहेड़ा

